राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–1) विभाग

क्रमांकः प0 8(5)कार्मिक/ख–1/2012 पार्ट–II जयपुर,दिनांकः 5 SEP 2017

आज्ञा

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष, 2011 में आयोजित कनिष्ठ लिपिकों की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1970 के नियम 23 के अन्तर्गत शासन सचिवालय में निम्नांकित अभ्यर्थियों को अस्थाई आधार पर कनिष्ठ लिपिक/लिपिक ग्रेड–II के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 8910/– प्रतिमाह एवं तत्पश्चात पे बैण्ड I 5200-20200 (ग्रेड पे 2400/–) अधोलिखित शर्तो पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से एतदद्वारा नियुक्त किया जाता हैः–

क्र.स.	नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	पिता का नाम	वर्ग	रो0 नं0	मेरिट सं.	जन्म तिथि
1.	प्रकाश सिंह	एस0एस0 शेखावत	GE	720792	113	29.10.1979
2.	महेश कटारिया	शंकर लाल कटारिया	GE	759767	121	05.04.1990
3.	जितेन्द्र कुमार मीना	प्रकाश मीना	ST	761692	316	13.06.1985
4.	लीना शर्मा	वेद प्रकाश शर्मा	GE	202631	273	19.01.1986
5.	शिल्पी धींगड़ा	सुभाष कुमार अरोड़ा	GE	743024	270	12.11.1978
6.	महेश कुमार जागृत	कन्हैया लाल जागृत	SC	744254	263	05.04.1979
7.	सन्तोष कुमार नैनावत	धन्ना लाल	SC	724298	254	06.03.1979
8.	राहुल टांक	भगवान सहाय टांक	BC	200333	190	15.09.1988
9.	अजंना शर्मा	ओम प्रकाश शर्मा	GE	737178	251	02.08.1987

1. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेगें। निर्धाति अवधि में कार्यभार नही संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

2. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

3. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगें परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Throgh Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

4. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि लिपिक ग्रेड–II के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।

5. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ0 12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13–03–2006, 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2)एफडी/रूल्स/ 2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1)एफडी/ रूल्स/ 2003 दिनांक 13.03.06 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशेधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 12–09–2008 के नियम 21 व परिशिष्ठ–iv के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होगें इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

6. परीवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

7. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीवीक्षा काल की समाप्ति पर पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

8. यह नियुक्ति पूर्णतयाः अस्थाई आधार पर है, परन्तु राज्य सरकार इनके कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट के आधार पर एवं अन्य रूप से स्थाईकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब कभी भी स्थाई रिक्त पद उपलब्ध होगें, इनको लिपिक ग्रेड–II के पद पर राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1970 के नियम 32 के अन्तर्गत स्थाई आधार पर नियुक्त कर सकेगी।

9. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण लिपिक ग्रेड–II के पै–बैण्ड I 5200-20200 (ग्रेड पे 2400/–) में करते हुए नियमानुसार अन्य भत्ते देय होगें।

10. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें।

11. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं. एफ0 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होगें।

12. यदि अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा फर्जी पाये जाते है तो इनकी सेवाऐं तत्काल समाप्त कर दी जावेंगी।

13. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।

14. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग से मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।

15. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(यू0डी0 खान)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ0 6(7)परीक्षा "घ"/कनिष्ठ लिपिक/सचिवालय/अभि./2010–11/6162 दिनांक 28.05.2017 के संदर्भ में।
2. समस्त विभागाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की जांच रिपोर्ट एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां संबंधित को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करावें।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)।
5. कार्मिक (ग) विभाग को मय अतिरिक्त प्रति।
6. अभ्यर्थी अपने समस्त वांछित मूल दस्तावेज, स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र तथा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट (विभागाध्यक्ष से प्रमाणित छाया प्रतियां प्राप्त कर) साथ लावें।
7. कार्मिक (ख–3)/(ख–4) विभाग।
8. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

(40) (अरूण कुमार अग्रवाल)
अनुभागाधिकारी